



समाज कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

समाजवादी पेंशन योजना

आवेदन पत्र

(ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

1.	आवेदन पत्र क्रमांक :
2.	आवेदन पत्र जमा करने की तिथि : (पंचायत सचिव द्वारा भरा जायेगा)

श्री अखिलेश यादव
मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०

- (1) आवेदक का नाम :
(परिवार की महिला मुखिया द्वारा भरा जायेगा, महिला मुखिया न होने की दशा में पुरुष मुखिया द्वारा भरा जायेगा।)
- (2) आवेदक का लिंग (कृपया करें) : महिला पुरुष
- (3) पिता / पति का नाम :
- (4) आवेदक की उम्र
- (5) पता : राजस्व ग्राम ग्राम पंचायत
पोर्ट ऑफिस विकास खण्ड
तहसील जनपद
- (6) आवेदक का वर्ग (अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य) :
(जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक, यदि उपलब्ध हो तो) :
- (7) परिवारजनों का विवरण :

क्रम संख्या	नाम	उम्र (दि०-०१ जुलाई, २०१४ को)	शैक्षिक योग्यता (निरक्षर अथवा साक्षर; किस कक्षा तक)	आवेदक से रिश्ता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

नोट : परिवार का तात्पर्य स्वयं / स्त्री / अविवाहित पुत्र, पुत्री / माता / पिता / भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता हो तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाता हो।

(8) आवेदक का मोबाइल नम्बर (यदि हो तो) :

आवेदक की
अद्यतन फोटो

समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

आवेदन पत्र क्रमांक	
आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	
लाभार्थी का नाम	

(पंचायत सचिव द्वारा भरा जायेगा)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

कृपया पृष्ठ पलटिये

आवेदक से सम्बन्धित अन्य विवरण (आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

हाँ या नहीं में उत्तर दें !

(1) क्या परिवार में किसी सदस्य को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन अथवा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है?

.....

(2) क्या परिवार में किसी सदस्य को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है?

.....

(3) परिवार में उपलब्ध भूमि का विवरण

.....

ग्राम

रक्का

गाठा संख्या

(4) क्या परिवार में किसी सदस्य के पास किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन / मशीनीकृत कृषि उपकरण जैसे जीप, कार, ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर, स्कूटर / मोटर साइकिल, पावर टीलर, थ्रेशर या हारवेस्टर है?

यदि हाँ तो वाहन का पूर्ण विवरण

वाहन का नाम

रजिस्ट्रेशन संख्या

(5) क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी / गैर सरकारी / एन0जी0ओ0 / निजी संगठन में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी है?

.....

(6) क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है?

.....

(7) क्या परिवार का कोई सदस्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा से सेवानिवृत्त है?

.....

यदि आवेदक निम्न वरियता क्रम में से किसी वरियता में आच्छादित है तो हाँ लिखे अन्यथा नहीं लिखे

(1) क्या आवेदक रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहा है?

.....

(2) क्या आवेदक भूमिहीन है?

.....

(3) क्या आवेदक "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अन्तर्गत चिह्नित स्वच्छकार है?

.....

(4) क्या आवेदक मुख्या एकल महिला (विधवा / तलाकशुदा) है?

.....

(5) क्या आवेदक मुख्या विकलांग है, जिसकी विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत है?
(विकलांगता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

.....

आवेदक द्वारा की गयी घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित किया गया विवरण सही है, यदि इनमें से कोई भी विवरण गलत सिद्ध हुआ तो जो धनराशि मुझे आर्थिक मदद के रूप में दी जा रही है, वह भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल कर ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
दिनांक सहित



श्री अर्विलेश यादव
मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०



समाज कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

समाजवादी पेंशन योजना

आवेदन पत्र (शहरी क्षेत्र हेतु)

1.	आवेदन पत्र क्रमांक :	
2.	आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :	
3.	काउन्टर सं० जहाँ आवेदन पत्र जमा किया गया है :	

(नगर निकाय कर्मी द्वारा भरा जायेगा)

- (1) आवेदक का नाम :
(परिवार की महिला मुखिया द्वारा भरा जायेगा, महिला मुखिया न होने की दशा में पुरुष मुखिया द्वारा भरा जायेगा।)
- (2) आवेदक का लिंग (कृपया करें) : महिला पुरुष
- (3) पिता / पति का नाम :
- (4) आवेदक की उम्र :
- (5) निवास स्थान : मकान नं० मोहल्ला पोस्ट आफिस
वार्ड का नाम तहसील जनपद
- (6) मकान (स्वयं का अथवा किराये का) क्षेत्रफल वर्ग मी.
- (7) आवेदक का वर्ग (अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य) :
(जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक, यदि उपलब्ध हो तो) :
- (8) परिवारजनों का विवरण :

आवेदक की अद्यतन फोटो

क्रम संख्या	नाम	उम्र (दि०-०१ जुलाई, २०१४ को)	शैक्षिक योग्यता (निरक्षर अथवा साक्षर; किस कक्षा तक)	आवेदक से रिश्ता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

नोट : परिवार का तात्पर्य स्वयं / स्त्री / अविवाहित पुत्र, पुत्री / माता / पिता / भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता हो तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाता हो।

(9) आवेदक का मोबाइल नम्बर (यदि हो तो)

कृपया पृष्ठ पलटिये

समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

आवेदन पत्र क्रमांक एवं दिनांक	
काउन्टर संख्या	
लाभार्थी का नाम	

(नगर निकाय कर्मी द्वारा भरा जायेगा)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

आवेदक से सम्बन्धित अन्य विवरण (आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

हाँ या नहीं में उत्तर दें !

- (1) क्या परिवार में किसी सदस्य को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन अथवा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है?
 (2) क्या परिवार में किसी सदस्य को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है?
 (3) क्या परिवार के स्वामित्व में 25 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक का पक्का आवास है?
 (4) क्या परिवार में किसी सदस्य के पास मोटराइज्ड वाहन जैसे :-जीप, कार, थ्री व्हीलर, स्कूटर, मोटर साइकिल है?

वाहन का नाम

रजिस्ट्रेशन संख्या

यदि हाँ तो वाहन का पूर्ण विवरण

- (5) क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी / गैर सरकारी / एनोजीओओ / निजी संगठन में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी है?
 (6) क्या परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता है?
 (7) क्या परिवार में कोई सदस्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा से सेवानिवृत्त है?

यदि आवेदक निम्न वरीयता क्रम में से किसी वरीयता में आच्छादित है तो हाँ लिखे अन्यथा नहीं लिखे

- (1) क्या आवेदक रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहा है?
 (2) क्या आवेदक "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार है?
 (3) क्या आवेदक दैनिक मजदूरी / खोमचा या फेरी वाला है?
 (4) क्या आवेदक मुखिया एकल महिला (जो या तो विधवा / तलाकशुदा) है?
 (5) क्या आवेदक मुखिया विकलांग है, जिसकी विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत है। (विकलांगता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)?
 (6) क्या आवेदक के पास स्वयं का आवास है?

आवेदक द्वारा की गयी घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित किया गया विवरण सही है, यदि इनमें से कोई भी विवरण गलत सिद्ध हुआ तो जो धनराशि मुझे आर्थिक मदद के रूप में दी जा रही है, वह भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल कर ली जाय ।

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
दिनांक सहित